# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
## बइजलास श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

**निर्वाचन अपील संख्या –115 / 2026**
**जीसीएमएस संख्या – 2026 / 126**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| पूनमचंद पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी–पाबूथल, ग्राम पंचायत सथेरण, तहसील व जिला नागौर (राजस्थान) | | निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलक्टर (मु0) नागौर), पंचायत समिति श्रीबालाजी–अलाय, जिला–नागौर। |

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा उपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 20.05.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 21 राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत पेश कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर उनका नाम ग्राम पाबूथल / ग्राम पंचायत सथेरण में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। अपील अपीलांट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट से टिप्पणी प्राप्त की एवं संबंधित रिकार्ड तलब किया गया ।

रेस्पोडेन्ट द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक / निर्वाचन / पं.आ.चु. / 2026 / 96 दिनांक 09.04.2026 से अपील पर बिन्दूवार टिप्पणी पेश की है एवं संबंधित रिकार्ड इस कार्यालय को भिजवाया है।

रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी बिन्दुवार इस प्रकार है :–

1. अपीलांट के दस्तावेज लम्बे समय से ग्राम चैनासर के ही बने हुए हैं जिसमें भौतिक सत्यापन जांच के दौरान अपीलांट द्वारा स्वयं समस्त दस्तावेज ग्राम चैनासर से संबंधित होना बताया गया। मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तिथियों की घोषणा उपरांत अपीलांट द्वारा एक साथ कुछ दस्तावेज यथा राशन कार्ड व आधार कार्ड का पता परिवर्तन करवाया गया जिनकी संशोधन तिथि संलग्न दस्तावेजों में उपलब्ध है जो कि संदेहास्पद है।
2. अपीलांट द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 2 में लिखा है कि एस. आई. आर. के उपरान्त प्रकाशित मतदाता सूची में उनका नाम ग्राम पाबूथल की सूची में दर्ज है जबकि अपीलांट का नाम ग्राम चेनासर (वि.स. भाग संख्या 24) की मतदाता सूची के क्रमांक 980 पर दर्ज है।
3. अपीलांट द्वारा प्रारूप संख्या 1 द्वारा ग्राम पाबूथल में नया नाम जुड़वाने हेतु आवेदन किया जबकि वर्तमान में अपीलांट का नाम अन्य ग्राम पंचायत के एक वार्ड में पूर्व में दर्ज है जिसके नाम हटवाने के संबंध में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का आवेदन कार्यालय / बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दोहरी प्रविष्टी के कारण प्रस्तुत आवेदनों को बीएलओ की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की टिप्पणी के आधार पर खारिज किया गया।
4. बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन की टिप्पणी के आधार पर अपीलांट वर्तमान में भी पुर्ववत निवास स्थान पर ही निवास कर रहा है, अपीलांट ने अपना निवास अन्यत्र स्थान पर परिवर्तन नहीं किया है, इसी निवास स्थान पर निवास करते हुए अपीलांट का नाम चैनासर की मतदाता सूची में दर्ज था। वर्तमान में अपीलांट वहीं निवास कर रहा है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

5. अपीलांट द्वारा दिनांक 09.03.2026 को प्रारूप 1 की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन किया तथा दिनांक 16.03.2026 को प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट की लिमिटेशन पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट का नाम वास्तविक निवास स्थान की जांच किये बिना ही सरसरी तौर पर कांट छांट की मिथ्या रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज कर दिया तथा नई मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 21.02.2026 को किया गया। अपीलांट का आवेदन खारिज की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी परन्तु हाल ही में गांव में मेरा आवेदन खारिज की चर्चा सुनी गई तब ग्राम पंचायत सथेरण की मतदाता सूची का अवलोकन किया गया तो पता चलने पर यह जानकारी हुई कि अपीलांट का आवेदन–पत्र खारिज हो चुका है। खारिज आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में आवेदन दिनांक 06.03.2026 को पेश किया। इस आवेदन–पत्र पर अपीलांट को आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 16.03.2026 को मिली तथा आदेश की प्रति प्राप्त होने से अपील समय पर पेश की गई है तथा इस दौराने हुवे विलम्ब का अपीलांट ने शपथ–पत्र पेश किया है, इसलिए निवेदन है कि यह अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये गये शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट को न्यायहित में अन्दर मियाद मानी जाती है।

विद्वान वकील अपीलांट ने मूल अपील की बहस में कथन किया कि अपीलांट जन्म से ग्राम पाबूथल, ग्राम पंचायत सथेरण, तहसील व जिला नागौर, राज० का निवासी है। अपीलांट का रहवासी मकान/ढाणी ग्राम पाबूथल में पूर्वजों के समय से बने हुए हैं तथा अपीलांट व उसके पूर्वज व परिवारजन शुरू से ही ग्राम पाबूथल में निवास करते रहे हैं एवं यहीं के मूल निवासी हैं और ग्राम पाबूथल (ग्राम पंचायत सथेरण) में रहने के दौरान ही समय–समय पर सर्वे होकर दस्तावेजात यथाः राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैराह बने हुए हैं लेकिन अपीलांट की कृषि भूमि सरहद चैनासर की कांकड़ में स्थित होने से पूर्व में चैनासर वार्ड में नाम दर्ज कर दिया लेकिन चैनासर ग्राम भी ग्राम पंचायत सथेरण में सामिल होने से अपीलांट को इस बाबत कोई परेशानी नहीं हुई थी। चूंकि ग्राम पंचायत सथेरण में ग्राम पाबूथल व चैनासर भी सामिल रहे थे लेकिन हाल ही में पंचायतों का पुनर्गठन किया उसमें ग्राम पंचायत सथेरण में से ग्राम चैनासर को नई ग्राम पंचायत सुरजाना के शामिल किया गया व ग्राम पाबूथल को ग्राम पंचायत सथेरण में ही रखा गया, जिस पुनर्गठन से अपीलांट को कोई आपति नहीं है मगर अपीलांट जो कि मूल रूप से ग्राम पाबूथल का निवासी है जो जांच रिपोर्ट व भौतिक निवास से भी साबित है मगर उनकी कृषि भूमि ग्राम चैनासर की कांकड़ में स्थित होने के कारण व चैनासर एवं पाबूथल दोनों ग्राम पंचायत सथेरण में होने के कारण उस समय अपीलांट व उसके परिवार का नाम पंचायत मतदाता सूची बनाते समय ग्राम चैनासर के निवासी मान कर चैनासर वार्ड में नाम दर्ज कर दिया गया और वर्तमान पंचायत पुनर्गठन होने से अपीलांट का मूल निवास ग्राम पाबूथल ग्राम पंचायत सथेरण में ही रहा मगर पूर्व में अपीलांट का नाम ग्राम चैनासर की मतदाता सूची में होने से नवगठित ग्राम पंचायत सुरजाना के वार्ड नं. 3 ग्राम चैनासर में अपीलांट व उसके परिजनों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट ग्राम चैनासर का निवासी नहीं होकर ग्राम पाबूथल का मूल निवासी था व है जिससे ग्राम पंचायत सथेरण के वार्ड नं. 1 पाबूथल में नाम दर्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने से अपीलांट ने इस हेतु प्रारूप – 1 (नियम 13(2), निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन में आवश्यक इन्द्राज दर्ज करते हुए रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)



कलक्टर नागौर

पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का सुरजाना ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 3 मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया नाम हटा कर सथेरण ग्राम पंचायत के ग्राम पाबूथल वार्ड नं.1 में नाम दर्ज किया जावे। लेकिन उक्त आवेदन पर अपीलांट की विधिवत सुनवाई किये बिना, राजस्थान पंचायती राज(निर्वाचन) नियमों की पालना किये बिना तथा अपीलांट के वास्तविक निवास स्थान के संबंध में जांच किये बिना सरसरी तौर पर ही मिथ्या रिपोर्ट जिसमें कांट छांट की हुई है, ऐसी रिपोर्ट लेकर राजनैतिक दबाव/प्रभाव व पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांट का उक्त आवेदन रेस्पोडेन्ट ने खारिज कर नई मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 21.2.2026 को किया गया तथा आदेश जैर अपील में आवेदन खारिज करने का कोई खुलासा विवेचन नहीं है, केवल मात्र कांट छांट की रिपोर्ट जो कि इस आशय की दर्ज की हुई है कि अपीलांट का उसी स्थान पर निवास है, के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर खारिज योग्य मान कर खारिज करने की कोई तारीख अंकित किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया व उसकी कोई सूचना भी अपीलांट को नहीं दी गयी।

अतः निवेदन हैं कि आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व नियमों की अनदेखी व अवहेलना करते हुए पारित किया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है व अपीलांट का मूल आवेदन स्वीकार योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि अपीलांट व उनके परिजन व पूर्वज मूल रूप से ग्राम पाबूथल के ही निवासी रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एस.आई.आर. की जो प्रक्रिया/योजना चलाई गयी उसमें बी.एल.ओ. ने जांच कर फार्म लिये, जिसमें अपीलांट व दीगर परिजनो ने भी आवेदन भर कर दिये मगर जानबूझ कर हमारे फार्मों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि हमारे पास ही निवास करने वाले हमारे परिजन व अन्य कई लोगों के फार्मों पर विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज हुवे हैं व नागौर विधानसभा मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 को हुआ उसमें हमारे अन्य परिजनों व पड़ौसियों के नाम दर्ज होकर आये हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट भी पाबूथल ग्राम का निवासी है। इसलिए निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाकर अपीलांट का नाम वार्ड नं. 3 ग्राम चैनासर/ग्राम पंचायत सुरजाना की मतदाता सूची से हटाया जाकर वार्ड नं. 1 ग्राम पाबूथल/ग्राम पंचायत सथेरण पं.सं. श्रीबालाजी–अलाय की सूची में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली में अपीलांट द्वारा फहरिस्त मय जांच रिपोर्ट दिनांक 04.02.2026 की प्रति पेश की है। यह जांच रिपोर्ट कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलेक्टर(मु0) नागौर पं0स0 श्रीबालाजी –अलाय के आदेश क्रमांक/निर्वा./पंचा./25/41 दिनांक 03.02.26 के संबंध में भू0अभिलेख निरीक्षक, श्रीबालाजी ने पेश की है। इस जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आज दिनांक 04.02.26 को हमराह हल्का पटवारी सथेरण, बी0एल0ओ0, पाबूथल व सुपरवाईजर संख्या 3 (जेठाराम) के साथ बी0एल0ओ0 पाबूथल श्री दिनेश विश्नोई के पास प्राप्त आवेदन प्रारूप–1 में जो ग्राम चैनासर पंचायत सुरजाना से अपने नाम हटवाकर ग्राम पाबूथल ग्राम पंचायत,सथेरण में जुड़वाने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु मौके पर पहुंचे। जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. यह है कि बी0एल0ओ0 के पास नाम जुडवानें हेतु प्राप्त सभी आवेदनकर्ता वर्तमान में ग्राम चैनासर पंचायत सुरजाना में अंकित है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)



कलक्टर नागौर

2. प्राप्त आवेदनकर्ताओं के रहवासी मकान का मौका निरीक्षण किया। बी0एल0ओ0 पाबूथल के पास इस प्रकार के कुल 54 आवेदन प्राप्त हो रखे हैं जिनकी जांच की गई, जिनमें पाया कि उक्त सभी आवेदनकर्ताओ की ढ़ाणिया ग्राम पाबूथल में स्थित है।
3. उक्त सभी आवेदनकताओं के घर जाकर उनसे पूछताछ की गई जिसमें उन्होनें बताया कि पूर्व में हमारे नाम ग्राम चैनासर की मतादाता सूची में अंकित हैं, हमारे बाकी सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जॉबकार्ड, जनाधारकार्ड एवं अन्य ग्राम चैनासर के निवास से ही बने हैं। उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां मांगनें पर ढाणियों में फोटो प्रति की मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण देने में असमर्थ रहे।

श्रीमानजी से निवेदन है कि उपस्थित उक्त मतदाताओं से पूछताछ करने पर बताया कि हम ग्राम चैनासर पंचायत सुरजाना से नाम हटवाकर ग्राम पाबूथल पंचायत सथेरण में जुड़वाना चाहते हैं। मौके पर उपस्थित बी0एल0ओ0 बूथ पाबूथल ने बताया कि उक्त फार्म नियमानुसार बी0एल0ओ0 चैनासर को जमा करवाना चाहिए थे। नियमानुसार कार्यवाही हेतु एवं पुनः आदेशार्थ जांच रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

प्रस्तुत अपील में पेश किये गये प्रारूप–1 (नियम 13(2) के आवेदन–पत्र का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अपीलांट द्वारा निर्वाचक नामावली ग्राम पाबूथल में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है। ''बी0एल0ओ0 ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आवेदनकर्ता का नाम ग्रा0प0 सुरजाना की मतदाता सूची में दर्ज है तथा आवेदनकर्ता पूर्ववत् पत्ते पर ही निवास कर रहें हैं अस्वीकार योग्य है। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने यथा प्रस्तावित किया तथा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने यथाप्रस्तावित का आदेश पारित किया है।''

उक्त आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 14 एवं 20 के प्रावधानों के तहत् अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना था परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का आवेदन खारिज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उक्त नियमों की पालना किये बिना ही अपीलांट का आवेदन–पत्र खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट से टिप्पणी प्राप्त किये जाने पर मुख्य रूप से बिन्दू संख्या 03 में यह अंकित किया है कि'' अपीलांट द्वारा प्रारूप संख्या 1 द्वारा ग्राम पाबूथल में नया नाम जुड़वाना हेतु आवेदन किया गया जबकि वर्तमान में अपीलांट का नाम अन्य ग्राम पंचायत के एक वार्ड में पुर्व से दर्ज है जिसे नाम हटवाने के संबंध में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का आवेदन कार्यालय/बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दोहरी प्रविष्टी के कारण प्रस्तुत आवेदनों को बीएलओ की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की टिप्पणी के आधार पर खारिज किया गया। बिन्दू संख्या 04 में यह अंकित किया हैं कि '' बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन की टिप्पणी के आधार पर अपीलांट वर्तमान में भी पुर्ववत निवास स्थान पर ही निवास कर रहा है अपीलांट ने अपना निवास अन्यत्र स्थान पर परिवर्तन नहीं किया है इसी निवास स्थान पर निवास करते हुए अपीलांट का नाम चैनासर की मतदाता सूची में दर्ज था। वर्तमान में अपीलांट वहीं निवास कर रहा है।''

रेस्पोडेन्ट की यह टिप्पणी बी0एल0ओ0 द्वारा मूल आवेदन–पत्र पर दिनांक 03.02.2026 को की गई टिप्पणी के आधार पर पेश है। इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)



कलक्टर नागौर

क्रमांक/निर्वा./पंचा./25/41 दिनांक 03.02.26 से भू0अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की है, इस आदेश की पालना में भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.02.2026 बनाकर कार्यालय में दिनांक 05.02.2026 को पेश की है। इस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 02 में यह स्पष्ट अंकित किया है" प्राप्त आवेदनकर्ताओं के रहवासी मकान का मौका निरीक्षण किया। बी0एल0ओ0 पाबूथल के पास इस प्रकार के कुल 54 आवेदन प्राप्त हो रखे हैं जिनकी जांच की गई, जिनमें पाया कि सभी आवेदनकर्ताओं की ढाणियां ग्राम पाबूथल में स्थित है। रिपोर्ट के अन्त में यह निवेदन किया है कि उपस्थित उक्त मतदाताओं से पूछताछ करने पर बताया कि हम ग्राम चैनासर, पंचायत सुरजाना से नाम हटवाकर ग्राम पाबूथल पंचायत सथेरण में जुडवाना चाहते हैं। मौके पर उपस्थित बी0एल0ओ0 बूथ पाबूथल ने बताया कि उक्त फार्म नियमानुसार बी0एल0ओ0 चैनासर को जमा करवाना चाहिए थे। इस जांच रिपोर्ट पर भू0 अभिलेख निरीक्षक, श्रीबालाजी, पटवारी, सथेरण, बी0एल0ओ0 पाबूथल एवं सुपरवाईजर संख्या 3 के हस्ताक्षर है।

इस जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ताओं की ढाणियां ग्राम पाबूथल/ग्राम पंचायत सथेरण में स्थित हैं। तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहायक कलक्टर मु0), नागौर प0सं0 श्रीबालाजी–अलाय को यह आदेश दिये जाते हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त मतदाता वर्तमान में ग्राम पाबूथल, ग्राम पंचायत सथेरण में निवास करता है अतः वर्तमान निवास स्थान पर अपीलांट का नाम मतदाता सूची में नियमानुसार जोड़ा जावे, अन्यत्र कहीं नाम हो तो नियमानुसार हटाया जावे। आदेश की प्रति निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (सहायक कलक्टर मु0, नागौर) प0सं0 श्रीबालाजी–अलाय को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर, नागौर